बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प सं0–5/सी0आर0–102/2016 पटना, दिनांक, मई, 2016

संकल्प

विषय :– भारतीय पुलिस सेवा के जिला पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु प्रतिवेदक प्राधिकार का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भा0पु0से0 के पदाधिकारियों का दिनांक–01.04.2016 के प्रभाव से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window [PAR (SPARROW)] System लागू किये जाने एवं इस प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किया गया SPARROW Software में निहित्त व्यवस्था के आलोक में भा0पु0से0 के जिला पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) आलेखन हेतु निम्नरुपेण प्राधिकारों का निर्धारण किया जाता है :–

क्रमांक	प्रतिवेदित पदा0	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	जिला पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक	क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक, बिहार	मुख्यमंत्री, बिहार

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 3943 दि0 10.05.2012 जिसके द्वारा पूर्व में भा0पु0से0 के जिला पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकार निर्धारित किया गया था, को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/सी0आर0–102/2016 3577 पटना, दिनांक 06 मई, 2016

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिदेशक,

प्रशिक्षण/महानिदेशक एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, पुलिस भवन निर्माण निगम/महानिदेशक, निगरानी बिहार राज्य विधुत परिषद/महानिदेशक, राज्य खेलकूद प्राधिकरण/महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार/महानिदेशक, असैनिक सुरक्षा/महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग/अपर पुलिस महानिदेशक–सह–निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी /अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, राज्य मानवाधिकार आयोग/अपर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस भवन निर्माण निगम/अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार राज्य विधुत परिषद/अपर महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, राज्य खेलकूद प्राधिकरण/अपर महानिदेशक–सह–अपर समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवायें, बिहार/अपर महानिदेशक, असैनिक सुरक्षा/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार/अपर महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस/ अपर महानिदेशक, निगरानी, बिहार राज्य विधुत पर्षद/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी रेल पुलिस अधीक्षक/आई0टी0, मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि संकल्प की प्रति सभी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को अपने स्तर से परिचारित कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।